

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)

संशोधित कार्यविभाजन आदेश

क्रमांक-३६ (एक-दो-०१)०७

सागर, दिनांक ०७.०४.२०२५

मैं महेश कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर कार्यविभाजन आदेश क्रमांक ३३/(एक-दो-०१)०७ दिनांक १०.०४.२०२४ में सिविल कोर्ट अधिनियम, १९५८ की धारा १५ की उपधारा (१) एवं धारा २१ (४) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ की धारा २१४, ४२२ (२) और धारा ४४१ के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व में जारी आदेशों को अधिभावी रूप से अधिष्ठित करते हुये निम्न आंशिक संशोधन करता हूँ।

क	न्यायालय का नाम व स्थान (०२)	क्षेत्राधिकार (०३)	प्रकरण का प्रकार, जिनकी सुनवाई कर निराकरण किया जाना है (०४)
१	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रहली श्री नितिन वर्मा	तहसील मुख्यालय रहली	०१. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण। ०२. तहसील रहली से संबंधित रुपये १/- अंकन एक रुपये से रुपये १,००,०००,००/- अंकन एक करोड़ रुपये तक के सिविल प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न होने वाली विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां ०३. लघुवाद प्रकरण रुपये ५००/- अंकन पांच सौ रुपये तक के मूल्यांकन के प्रकरण ०४. म०प्र० लोक न्यास अधिनियम, के अंतर्गत रुपये १/- अंकन एक रुपये से लेकर रुपये ५,००,०००/- अंकन पांच लाख रुपये तक के प्रकरण ०५. भारतीय दिवालिया अधिनियम, के अंतर्गत ऐसे प्रकरण जिनका मूल्यांकन १/- अंकन एक रुपये से १,००,०००,००/- अंकन एक करोड़ रुपये तक का हो ०६. तहसील रहली से संबंधित मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद एवं वैवाहिक पुर्नस्थापना से संबंधित प्रस्तुत होने वाली याचिकायें एवं वाद पत्र। ०७. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, के भाग १० के अंतर्गत प्रकरण ०८. म०प्र० नगर पालिका अधिनियम, १९६१ की धारा १७२ के अंतर्गत अपील प्रकरण ०९. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड द्वारा विचारणीय ऐसे प्रकरण जिनके लिये अन्य किसी न्यायाधीश के लिये अधिकृत ना किया गया हो। १०. पूर्व में पदस्थ रहे समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय से उत्पन्न समस्त कार्यवाहियां।

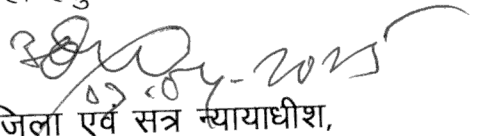
नोट:- उक्त संशोधन के अतिरिक्त शेष कार्यविभाजन/प्रभार आदेश यथावत रहेगा।

(महेश कुमार शर्मा) ०७.०४.२०२५
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
 सागर (म.प्र.)

पृष्ठाकंन कमांक 1977 (एक-दो-01)07
प्रतिलिपि:-

सागर दिनांक: 07.04.2025

1. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रहली (श्री नितिन वर्मा) ।
2. पंजीयन लिपिक रहली
3. निष्पादन लिपिक/प्रस्तुतकार प्रधान जिला न्यायाधीश, सागर ।
4. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ रहली
की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)